



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2013/माघ 11, 1934

No. 275]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2013/MAGHA 11, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2013

सं. 15/2013-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 297(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 828(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 [सं. 61/94-(गै.टे.)-सीमाशुल्क, दिनांक 21 नवम्बर, 1994], में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ख) के समक्ष "मंगलौर" वायु पत्तन के संबंध में, कॉलम 4 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :—

1	2	3	4
			"आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या किसी वर्ग के ऐसे ही माल की लदवाई।"

[फा. सं. 520/29/2012-सीमाशुल्क-VI]

एस. सी. गंगर, अवर सचिव

टिप्पणी.—प्रधान अधिसूचना सं. 61/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को का.आ. 828(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 58/2011-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 19 अगस्त, 2011 के तहत संशोधन किया गया था तथा का.आ. 1935 (अ), दिनांक 19 अगस्त, 2011 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2013

No. 15/2013-Customs (N.T.)

S.O. 297(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number S.O. 828(E), dated the 21st November, 1994 No. 61/94-(N.T.) Customs, dated the 21st November, 1994], namely :—

2. In the Table to the said notification, against serial No. 8, in column (3) against item (b) relating to Airport “Mangalore”, for the entry under column (4), the following entry shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
			“Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods”.

[F. No. 520/29/2012-Cus.VI]

S. C. GANGER, Under Secy.

Note.—The principal notification No. 61/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published *vide* number S.O. 828(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended *vide* notification No. 58/2011-Customs (N.T.), dated the 19th August, 2011 and published *vide* number S.O. 1935(E), dated the 19th August, 2011.